अजय कुमार मित्तल और अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल जे.जे. के समक्ष

अराइव सेफ सोसाइटी ऑफ चंडीगढ़ बजरिया इसके अध्यक्ष---याचिकाकर्ता की ओर से

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य ----- प्रतिवादी

सीडब्ल्यूपी नं. 26234 आफ 2017

27 मार्च 2018

भारत का संविधान, 1950--कला. 47--राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002--धारा 24 और 26--राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों पर शराब की दुकानें—माना गया –कस्बों शहरों और गांवों की नगरपालिका सीमा के बाहर पड़ने वाली भूमि पर कब्जा करने की अनुमति, परन्तु राजमार्ग पर पड़ने वाले के लिए राजमार्ग प्रशासन से जानकारी मांगी जानी आवश्यक है - राज्य पेय पदार्थ के रूप में शराब के व्यापार या व्यवसाय को प्रतिबंधित/प्रतिबंधित/एकाधिकार कर सकता है और राजमार्ग पर किसी भी शराब की दुकान को राजमार्ग प्रशासन की अनुमति के बिना संचालित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

माना गया कि, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि वर्ष 2018-19 के लिए उत्पाद शुल्क नीति के खंड 1.2.2 में हरियाणा राज्य ने उक्त उत्पाद शुल्क नीति तैयार करने में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों का पालन किया है। हालाँकि, पंजाब राज्य ने वर्ष 2018-19 के लिए उत्पाद शुल्क नीति के खंड 2.12 में राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के किनारे शराब की दुकानों के स्थान से निपटा है। तदनुसार, यह निर्देशित किया जाता है कि पंजाब राज्य में सक्षम प्राधिकारी शराब की बिक्री के लिए लाइसेंस देते समय यह सुनिश्चित करेगा कि शराब की दुकानें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुरूप ही स्थित हों।

(पैरा 19)

आगे यह माना गया कि उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि अन्य बातों के साथ-साथ अधिनियम की धारा 24 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति राजमार्ग प्रशासन या इस संबंध में ऐसे प्रशासन द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी से लिखित रूप में इस उद्देश्य के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना किसी राजमार्ग भूमि पर कब्जा नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर नाली के माध्यम से कोई सामग्री नहीं बहाएगा। धारा 25(1) में प्रावधान है कि राजमार्ग प्रशासन या ऐसे प्रशासन द्वारा अधिकृत अधिकारी, यातायात की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए और ऐसी शर्तों के अधीन, जो निर्धारित की जा सकती हैं और निर्धारित किराए या अन्य शुल्क के भुगतान पर, पट्टा प्रदान कर सकते हैं या किसी व्यक्ति को अस्थायी उपयोग के लिए राजमार्ग भूमि का लाइसेंस। अधिनियम की धारा 26 के अनुसार, राजमार्ग

प्रशासन को ऐसा करने के लिए लिखित कारण दर्ज करने के बाद अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (2) के तहत जारी किसी भी परमिट को रद्द करने का अधिकार है। उपरोक्त प्रावधानों का संचयी प्रभाव यह होगा कि राजमार्ग पर पड़ने वाली किसी भी भूमि के उपयोग की अनुमति राजमार्ग से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रशासन। दूसरे शब्दों में, यह आवश्यक होगा कि कस्बों, शहरों और गांवों की नगरपालिका सीमा के बाहर और राजमार्ग पर पड़ने वाली भूमि पर कब्जे के लिए राजमार्ग प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के महाप्रबंधक (तकनीकी) द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्यों के विभिन्न उपायुक्तों को जारी दिनांक 4.8.2012 के पत्र से पता चलता है कि राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों पर शराब की दुकानों को हटाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए थे। राजमार्ग प्रशासन की पूर्व अनुमति के बिना संचालित हो रहे थे। याचिकाकर्ता ने राजमार्ग प्रशासन से प्रवेश की अनुमति के बिना राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रही शराब की दुकानों के विवरण के बारे में भी आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी थी। याचिकाकर्ता को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पीआईयू, चंडीगढ़ के परियोजना निदेशक द्वारा आवश्यक विवरण देते हुए पत्र दिनांक 10.1.2018 भेजा गया था।

(पैरा 21)

आगे यह माना गया कि इसलिए, एक नागरिक को पेय के रूप में शराब का व्यापार या व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है और गतिविधियाँ, जो कि अतिरिक्त वाणिज्यिक हैं, किसी भी नागरिक द्वारा नहीं की जा सकती हैं। राज्य पोर्टेबल शराब के व्यापार या व्यवसाय पर पूरी तरह से रोक लगा सकता है और ऐसी शराब के व्यापार या व्यवसाय के लिए अपने आप में एक एकाधिकार भी बना सकता है। यह कानूनी स्थिति अच्छी तरह से स्थापित है। राज्य एक पेय के रूप में शराब के व्यापार या व्यवसाय पर प्रतिबंध और सीमाएं भी लगा सकता है, जो प्रतिबंध वैध गतिविधियों और वस्तुओं और लेखों में व्यापार या व्यवसाय पर लगाए गए प्रतिबंधों से भिन्न होते हैं जो वाणिज्यिक हैं।

(पैरा 25)

आगे कहा गया कि यह उचित होगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 के संदर्भ में और जनता की सुरक्षा के लिए, कस्बों, शहरों और गांवों की सीमा के बाहर नहीं बल्कि राजमार्गों पर नगरपालिका क्षेत्रों में पड़ने वाली कोई भी शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। 2002 अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के बिना संचालन की अनुमति दी गई। तदनुसार आदेश दिया गया। प्रावधानों के अनुसार यातायात की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत मामलों की जांच करना और मिनी क्षेत्रों के भीतर राजमार्गों पर कस्बों, शहरों और गांवों में शराब की दुकान के

स्थान की निकटता का निर्धारण करना राजमार्ग प्रशासन का काम होगा। 2002 के अधिनियम का. हालाँकि, याचिकाकर्ता के लिए यह खुला होगा कि वह राजमार्गों पर शराब की दुकानों के स्थान के मानदंडों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तिगत मामले को कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के ध्यान में लाए। रिट याचिका का निपटारा यहां ऊपर बताए गए तरीके से किया जाता है।

(पैरा 28)

श्री रवि कमल गुप्ता, याचिकाकर्ता के वकील।

श्री लोकेश सिंहल, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा।

श्री शिरीष गुप्ता, सीनियर डीएजी, पंजाब के साथ श्री जगमोहन एस.घुमन, डीएजी, पंजाब।

सुश्री सोनिया मदान, अधिवक्ता श्री आर.एस.मदान, अधिवक्ता प्रतिवादी क्रमांक 7.

अजय कुमार मित्तल, जे.

(1). याचिकाकर्ता-अराइव सेफ सोसाइटी ऑफ चंडीगढ़ अपने माध्यम से भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर त्वरित याचिका के माध्यम से अध्यक्ष उत्तरदाताओं को उन स्थानों को तत्काल हटाने का निर्देश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट के लिए प्रार्थना करते हैं उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 15.12.2016, 31.3.2017 और 11.7.2017 को पारित निर्णयों के अनुलग्नक पी.5 से पी.7 के उल्लंघन में राज्य राजमार्ग के 500 मीटर के भीतर शराब परोसी/बेची/आपूर्ति की जा रही है।, सभी प्रकार के विज्ञापनों, होर्डिंग्स, संकेतों, साइनेज, सजावटी रोशनी को तुरंत हटाने के लिए उत्तरदाताओं से आगे निर्देश मांगा गया है जो अभी भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं। निषेधज्ञता प्रकृति में एक रिट के लिए भी प्रार्थना की गई है ताकि राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के 500 मीटर के भीतर शराब की बिक्री/सेवा के लिए उत्तरदाताओं द्वारा कोई और लाइसेंस जारी न किया जाए।

(2) इसमें शामिल विवाद के निर्णय के लिए प्रासंगिक कुछ तथ्य जैसा कि याचिका में बताया गया है, उस पर ध्यान दिया जा सकता है। अराइव सेफ सोसाइटी एक भारतीय गैर सरकारी संगठन है जो सभी प्रकार के सड़क उपयोगकर्ताओं के बीच ज्ञान, जागरूकता और कौशल बढ़ाने के लिए सड़क सुरक्षा कार्यक्रम विकसित करने पर काम कर रहा है। युवाओं को शराब के दुरुपयोग के बारे में शिक्षित करने के अलावा, यह नशे में गाड़ी चलाने के संबंध में कानून प्रवर्तन में सुधार के लिए यातायात पुलिस विभाग के साथ मिलकर काम करता है। याचिकाकर्ता-हरमन सिंह सिद्धू पिछले 20 वर्षों से व्हील चेयर पर जीवन जीने

का आघात झेल रहे हैं क्योंकि जिस वाहन ने उन्हें लकवा मार दिया था, उसे एक शराबी ड्राइवर चला रहा था। वह किसी को नहीं चाहता अन्यथा शराब के नशे में गाड़ी चलाने वाले किसी अन्य व्यक्ति के लापरवाहीपूर्ण कार्य के कारण उसी आंशिक रूप से खराब अवस्था में होना। याचिकाकर्ता के अध्यक्ष एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और भारत और विदेशों में विभिन्न सरकारी संगठनों के साथ काम करते हैं और इस प्रकार अपनी जीविका चलाते हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार, बिना किसी निजी हित के उनके निरंतर प्रयासों के कारण, पहले इस अदालत और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने विशिष्ट निर्देश जारी किए राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर शराब की बिक्री के संबंध में। इसके बाद, निर्देशों में संशोधन के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाएं दायर की गईं। दिनांक 15.12.2016 के फैसले को इस हद तक संशोधित किया गया था कि 20,000 या उससे कम आबादी वाले स्थानीय निकायों में शामिल क्षेत्रों के मामले में, 500 मीटर की दूरी कम होकर 220 मीटर हो जाएगी। इसके अलावा, यह निर्देश दिया गया कि शराब की बिक्री के लिए उन लाइसेंसों के मामले में, जिन्हें 15 दिसंबर 2016 से पहले नवीनीकृत किया गया था और संबंधित राज्य का उत्पाद शुल्क वर्ष 1 अप्रैल 2017 को या उसके बाद आने वाली तारीख को समाप्त होना था, मौजूदा लाइसेंस की अवधि समाप्त होने तक लाइसेंस जारी रहेगा, लेकिन किसी भी स्थिति में 30 सितंबर 2017 से पहले नहीं। स्पष्टीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विभिन्न अंतरिम आवेदन दायर किए गए थे। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि चूंकि निर्देशों का उद्देश्य नशे में गाड़ी चलाने को रोकना था, इसलिए ऐसी कोई छूट नहीं दी जा सकती जो वांछित उद्देश्य को विफल कर दे। हासिल। निर्णयों की प्रयोज्यता का मुद्दा केवल शराब की दुकानों और उन सभी स्थानों तक सीमित है जहां शराब बेची/परोसी/आपूर्ति की जाती है, चाहे वह होटल/रेस्तरां/कैफे/बार/क्लब आदि हों, इसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य आदेश के जरिए की थी। दिनांक 11.7.2017 जिसमें विभिन्न होटल मालिकों/क्लबों द्वारा दायर 35 आवेदन खारिज कर दिए गए। इसके बाद, यूटी प्रशासन चंडीगढ़ को पहले से ही डिनोटिफाई करने का विचार आया राज्य राजमार्गों को अधिसूचित किया जाएगा और उन्हें प्रमुख जिला सड़कों का नाम दिया जाएगा। उक्त अधिसूचना को इस अदालत में चुनौती दी गई थी जिसे खारिज कर दिया गया था। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। दिनांक 11.7.2017 के आदेश, अनुलग्नक पी.7 के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज किया कि निर्देशों का उद्देश्य निहित है दिनांक 15.12.2016 के आदेश में राजमार्गों के किनारे और निकटता में शराब की बिक्री

से निपटना था, जो शहरों, कस्बों और गांवों के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करता था। आदेश में नगरपालिका क्षेत्रों के भीतर लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों पर रोक नहीं लगाई गई है। यह स्पष्टीकरण अन्य नगरपालिका क्षेत्रों पर भी लागू होगा। इसलिए ऊपर उल्लिखित प्रार्थना के साथ याचिकाकर्ता द्वारा तत्काल याचिका।

(3) प्रतिवादी संख्या 1 विज्ञापन 2 की ओर से एक संक्षिप्त उत्तर दायर किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि ऐसा नहीं है किसी भी शराब की दुकान/बार पर प्रदर्शित विज्ञापन/होर्डिंग्स/साइन/साइनेज और यदि कोई था, तो उसे आज की तारीख तक हटा दिया गया है। आगे कहा गया है कि हरियाणा राज्य उत्पाद शुल्क नीति 2017-18 के अनुसार राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के 500 मीटर के दायरे में लाइसेंस केवल नगरपालिका सीमा के भीतर जारी किए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 11.7.2017 के तहत स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं। उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए कोई भी शराब की दुकान/बार राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग या उसके सर्विस लेन पर नहीं चल रही है।

(4) प्रतिवादी क्रमांक 4 एवं 5 की ओर से लिखित बयान दिया गया है दायर किया गया है जिसमें अन्य बातों के अलावा यह कहा गया है कि पंजाब राज्य के भीतर चल रही शराब की दुकानें सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेशों का विधिवत पालन कर रही हैं।

(5) परियोजना निदेशक की ओर से लिखित बयान भी दाखिल किया गया है. प्रतिवादी नंबर 7 की ओर से चंडीगढ़। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि शराब की बिक्री/सेवा के लिए लाइसेंस जारी करना पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ राज्यों के उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग के क्षेत्र में आता है। प्रतिवादी नंबर 7 की शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस जारी करने में कोई भूमिका नहीं है। इसने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर शराब की दुकानें खोलने को कभी भी अधिकृत या अनुमति नहीं दी थी। बल्कि प्रतिवादी नंबर 7 ने बार-बार संबंधित अधिकारियों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुपालन में राष्ट्रीय राजमार्गों के निकट स्थापित शराब की दुकानों को हटाने के लिए उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया था।

(6) इसी तरह समाहर्ता सह शपथ पत्र के माध्यम से जवाब में कहा गया है. प्रतिवादी नंबर 1 और 2 की ओर से अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त (आबकारी) हरियाणा, अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि किसी भी शराब की दुकान / बार में विज्ञापन / होर्डिंग / साइनेज प्रदर्शित करने के संबंध में

कोई उल्लंघन नहीं पाया गया था और यदि कोई था कोई भी, उसे हटा दिया गया है।

(7) याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि निर्देश दिए गए हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों का अक्षरशः अनुपालन किया जाना चाहिए। केवल उन्हीं प्रतिष्ठानों को शराब परोसने/बिक्री/आपूर्ति करने की अनुमति दी जानी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप हों। बहस के दौरान, राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (संक्षेप में, "2002 अधिनियम") के प्रावधानों पर बहुत जोर दिया गया, ताकि आग्रह किया जा सके कि किसी भी शराब की दुकान को उल्लंघन करके संचालित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उक्त अधिनियम के प्रावधानों का. दूसरे शब्दों में, शराब की दुकानों का स्थान उसके तहत निर्धारित कानूनी आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। नीलामी के समय विक्रेता के सटीक स्थान का उल्लेख किया जाना चाहिए जिसका आवेदकों द्वारा अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए। विद्वान वकील के अनुसार, शहरों, कस्बों और गांवों की सीमा के बाहर लेकिन राजमार्गों पर नगरपालिका क्षेत्रों के भीतर पड़ने वाली शराब की दुकानों को भी प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

(8) पंजाब राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जा रहा है। राष्ट्रीय या राज्य राजमार्गों पर शराब की दुकानों को केवल नगर निगम क्षेत्र के भीतर ही खोलने की अनुमति दी गई है। सामान्य बोलचाल की भाषा में शीर्ष न्यायालय के दिनांक 11.7.2017 के आदेश में "शहर, कस्बे और गांव" शब्द का उपयोग किया गया है। हालाँकि, यदि किसी शहर, कस्बे या गाँव की क्षेत्रीय सीमा को परिभाषित किया जाना है, तो इसे केवल प्रासंगिक कानूनों में ही परिभाषित किया जा सकता है जो गाँव के मामले में राजस्व संपत्ति और शहर या शहर के मामले में नगर निगम पर लागू होते हैं।

(9) हरियाणा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश नगरपालिका क्षेत्रों के भीतर लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों पर रोक नहीं लगाता है। नगर निगम क्षेत्र के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रतिबंधित दूरी के भीतर किसी भी शराब की दुकान की अनुमति नहीं दी गई है। राष्ट्रीय या राज्य राजमार्गों पर शराब की दुकानों को केवल नगर निगम क्षेत्र के भीतर ही खोलने की अनुमति दी गई है। नगरपालिका क्षेत्रों को सरकार द्वारा या तो हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 के तहत या हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के तहत अधिसूचित किया जाता है। नगरपालिका क्षेत्र का

मतलब क्षेत्रीय क्षेत्र है नगरपालिका जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है और इसमें कोई भी क्षेत्रीय क्षेत्र शामिल है जो हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारंभ में नगरपालिका का हिस्सा बनता है।

(10) इस याचिका में विचार के लिए दो मुद्दे उठते हैं राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों पर शराब की दुकानों के स्थान के संबंध में:- (i) क्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के संबंध में राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों पर शराब की दुकानों पर प्रतिबंध का पालन किया जा रहा है अक्षरशः और आत्मा में? (ii) क्या लाइसेंसधारी को इसके प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है राजमार्गों के बाहर शराब की दुकानें स्थापित करने के लिए 2002 अधिनियम शहर, कस्बे या गाँव की स्थानीय सीमाएँ?

(11) यहां ऊपर देखे गए मुद्दे (i) पर गहराई से विचार करना आवश्यक होगा उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों पर ध्यान देने के लिए। **तमिलनाडु राज्य और अन्य बनाम के.बालू और अन्य**, सिविल अपील संख्या 12164-12166, 2016, अनुबंध पी.5 में दिनांक 15.12.2016 के आदेश में, यह निर्देशित किया गया था कि शराब की बिक्री के लिए कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग के बाहरी किनारे या राजमार्ग के किनारे सर्विस लेन के 500 मीटर की दूरी के भीतर स्थित राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग से दृश्यमान होना। इसके अलावा, मौजूदा लाइसेंस जो आदेश की तारीख से पहले ही नवीनीकृत कर दिए गए थे, वे लाइसेंस की अवधि समाप्त होने तक जारी रहेंगे, लेकिन 1 अप्रैल, 2017 से पहले नहीं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश इस प्रकार हैं: -

"22. इन सभी कारणों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि दोनों तरफ से शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग. इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए यह प्रावधान छल-कपट अपनाने से पराजित नहीं होता है यह निर्देश देना आवश्यक होगा कि कोई अपवाद नहीं बनाया जा सके के उन हिस्सों के संबंध में शराब लाइसेंस देने के लिए राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग जो किसी की सीमा से होकर गुजरते हैं नगर पालिका निगम, शहर, नगर या स्थानीय प्राधिकरण। ज़रूरी यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय शुरू किए जाने चाहिए कि शराब की दुकानें बंद न हों राजमार्ग के बाहरी किनारे से या राजमार्ग के किनारे सर्विस लेन से 500 मीटर की निर्धारित दूरी के भीतर राजमार्ग से दृश्यमान या सीधे पहुंच योग्य।

23. हालाँकि, हमने व्यावहारिकता को भी ध्यान में रखा है कठिनाई जो लाइसेंस की ओर से व्यक्त की गई है धारकों (माहे शहर के लोगों सहित) और राज्य ऐसे लाइसेंस हैं जिनका विधिवत नवीनीकरण किया गया है और जिनकी अवधि है अभी भी समाप्त होना बाकी है. राज्यों को समय से पहले समाप्ति की आशंका है समाप्त न हुए लाइसेंस शुल्क की वापसी के लिए दावे किए जा सकते हैं बड़े वित्तीय निहितार्थों वाला शब्द। इसलिए हम निर्देशन करेंगे मौजूदा लाइसेंस मौजूदा अवधि के लिए जारी रह सकते हैं लेकिन नहीं 1 अप्रैल, 2017 के बाद।

24. हम तदनुसार निम्नलिखित निर्देश और आदेश देते हैं:

i) सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तुरंत बंद कर देंगे राष्ट्रीय स्तर पर शराब की बिक्री के लिए लाइसेंस देने से लेकर राज्य राजमार्ग;

ii) उपरोक्त (i) में निहित निषेध का विस्तार और तक होगा इसमें ऐसे राजमार्गों के विस्तार शामिल हैं जो की सीमा के अंतर्गत आते हैं एक नगर निगम, शहर, नगर या स्थानीय प्राधिकरण;

iii) मौजूदा लाइसेंस जिनका पहले ही नवीनीकरण किया जा चुका है यह आदेश दिनांक तक की अवधि तक जारी रहेगा लाइसेंस समाप्त हो रहा है लेकिन 1 अप्रैल 2017 से पहले नहीं;

iv) शराब की उपलब्धता के सभी संकेत और विज्ञापन दोनों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और मौजूदा को तुरंत हटा दिया जाएगा राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग;

v) शराब की बिक्री के लिए कोई भी दुकान (i) दूर से दिखाई नहीं देगी राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग; (ii) किसी राष्ट्रीय से सीधे पहुंच योग्य या राज्य राजमार्ग और (iii) 500 मीटर की दूरी के भीतर स्थित है राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग या किसी सेवा के बाहरी किनारे का राजमार्ग के किनारे लेन.

vi) सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्ती से आदेश दिया गया है उपरोक्त निर्देशों को लागू करें. मुख्य सचिव और निदेशक पुलिस महानिदेशक एक माह के भीतर इसके लिए एक योजना तैयार करेंगे राज्य राजस्व और गृह के परामर्श से प्रवर्तन विभाग. अन्य बातों के साथ-साथ जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों तथा अन्य सक्षम अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी अधिकारी। मंगाकर अनुपालन की सख्ती से निगरानी की जाएगी की गई कार्रवाई पर पाक्षिक रिपोर्ट।

vii) ये निर्देश अनुच्छेद 142 के तहत जारी किए गए हैं संविधान।

(12) सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.7.2017 में **अराइव सेफ सोसाइटी ऑफ चंडीगढ़ बनाम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़** और दूसरा, 2017 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 10243, यह स्पष्ट किया गया था कि निर्देश नगरपालिका क्षेत्रों के भीतर लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों को प्रतिबंधित नहीं करते हैं। इसके अलावा, शहरों, कस्बों और गांवों के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करने वाले राजमार्गों को बाहर रखा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी किये गये:-

"22. उन प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद जिनका आग्रह किया गया है इस न्यायालय के समक्ष, हमारा विचार है कि तीन क्षेत्र हैं जहां इसके द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं उनमें सख्ती बरती गई है न्यायालय को प्रभावित किए बिना उचित रूप से संशोधित करने की आवश्यकता हो सकती है निर्णय के अंतर्निहित मूल सिद्धांत. पहला के संबंध में है 20,000 से कम जनसंख्या वाले स्थानीय निकायों की सीमाएँ लोग। ऐसे क्षेत्रों में, इस न्यायालय के समक्ष यह आग्रह किया गया है कि ए राज्य राजमार्ग मुख्य मार्ग है जिसके किनारे टाउनशिप 20,000 या उससे कम के छोटे समूहों में विकसित हुई है। अतः 500 मीटर की दूरी बनाए रखने की आवश्यकता है राजमार्ग या सर्विस लेन के बाहरी किनारे से परिणाम हो सकता है ऐसी स्थिति जहां पूरा स्थानीय क्षेत्र इसके अंतर्गत आ सकता है निषिद्ध दूरी. हमें निवेदन में कुछ तथ्य मिलता है। हमें दृढ़तापूर्वक यह स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसे क्षेत्रों में भी गिरावट आ रही है 20,000 से कम जनसंख्या वाले स्थानीय निकायों के अंतर्गत, नहीं शराब की बिक्री के लिए लाइसेंस या तो जारी किया जाना चाहिए राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग या राजमार्ग के किनारे एक सर्विस लेन। इसी तरह शराब की बिक्री भी एक प्वाइंट से होनी चाहिए न तो राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग से दिखाई देता है और न ही जो है राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग से सीधे पहुंचा जा सकता है। हालाँकि, में ऐसी स्थिति में, हमारे विचार से निषिद्ध दूरी राष्ट्रीय के बाहरी छोर से 220 मीटर तक सीमित होनी चाहिए राज्य राजमार्ग या राजमार्ग के किनारे सर्विस लेन। हम तदनुसार निर्देश दें कि निम्नलिखित पैराग्राफ डाला जाएगा, के परिचालन निर्देशों के पैराग्राफ 24 में निर्देश (v) के बाद इस न्यायालय ने दिनांक 15 दिसंबर 2016 के फैसले में अर्थात्: "जनसंख्या वाले स्थानीय निकायों में शामिल क्षेत्रों के मामले में 20,000 या उससे कम लोगों की दूरी 500 मीटर होगी 220 मीटर तक कम हो गया"।

(13) दिनांक 31.3.2017 को पारित आदेश में अंतरिम आवेदन दाखिल किये गये **के.बालू के** मामले (सुप्रा) में, निर्देशों में कुछ संशोधन किया गया था कि 20,000 या उससे कम आबादी वाले स्थानीय निकायों में शामिल क्षेत्रों के मामले में, 500 मीटर की दूरी को घटाकर 220 मीटर कर दिया जाएगा। समय सीमा 31.3.2017 से बढ़ाकर 30.9.2017 कर दी गई। उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार दर्ज किया:-

"7. दिनांक 15 के आदेश में निहित निर्देशों का उद्देश्य दिसंबर 2016 में शराब की बिक्री का निपटारा होना है राजमार्गों की निकटता ठीक से समझी जाती है, जो प्रदान करती है शहरों, कस्बों और गांवों के बीच कनेक्टिविटी। आदेश करता है नगरपालिका क्षेत्रों के भीतर लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों को प्रतिबंधित न करें। यह स्पष्टीकरण अन्य नगरपालिका क्षेत्रों को भी नियंत्रित करेगा। हमारे पास है इसे शांत करने के लिए यह स्पष्टीकरण जारी करना उचित समझा किसी भी अस्पष्टता और IAs के समक्ष बार-बार सहारा लेने से बचने के लिए अदालत।"

(14) इसके अलावा, शीर्ष न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.12.2017 में **होटल सोनई बीयर बार और परमिट रूम और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य** में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर एसएलपी में, 2017 की अपील (सी) संख्या 19845 की विशेष अनुमति के लिए याचिका, इसे निम्नानुसार दर्ज किया गया था: - "यह श्री एफ.आई. द्वारा प्रस्तुत किया गया है। चौधरी ने कहा कि जिन दुकानों की बात हो रही है नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत हैं. इस न्यायालय ने हाल ही में आई.ए. सिविल अपील संख्या 12164-12166/2016 में संख्या 1060-1062/2017, एसएलपी (सी) 19845/2017 में इस प्रकार स्थिति स्पष्ट की गई है:-

"उपरोक्त टिप्पणियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि का उद्देश्य 15 दिसंबर 2016 का फैसला इस पर रोक लगाने के लिए है राजमार्गों के किनारे और उनके नजदीक शराब की बिक्री शहरों, कस्बों और गांवों के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करें। में दूसरे शब्दों में, यह लाइसेंस प्राप्त करने पर रोक लगाने के लिए कार्य नहीं करेगा नगरपालिका क्षेत्रों के भीतर प्रतिष्ठान। को स्पष्टीकरण इसका प्रभाव यह होगा कि यह "अन्य नगरपालिका क्षेत्रों पर भी शासन करेगा।" अच्छा" का उद्देश्य स्पष्ट रूप से संबंध में मामले को शांत करना है देश के अन्य भागों में ताकि इसकी आवश्यकता से बचा जा सके इस न्यायालय के समक्ष बार-बार आवेदन।

अभिव्यक्ति "अन्य नगरपालिका क्षेत्र" सभी पर लागू होगी नगरपालिका क्षेत्र, चाहे जहां भी स्थित हों।"

उपरोक्त स्पष्टीकरण वर्तमान याचिकाकर्ताओं की दुकानों पर पूरी ताकत से लागू होगा नगर निगम क्षेत्र में स्थित हैं। उपरोक्त के मद्देनजर, विशेष अनुमति याचिका का निपटारा किया जाता है। लंबित अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाएगा। डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 964/2017 और 1050/2017 श्री प्रशांत एस को सुना। केंजले, याचिकाकर्ताओं और श्री निशांत के वकील रमाकांतराव कटनेश्वरकर, महाराष्ट्र राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हम इस पर विचार करते हैं यह निर्देश देना उचित होगा कि प्रत्येक याचिकाकर्ता एक प्रस्तुत करेगा अब से तीन सप्ताह के भीतर प्रतिनिधित्व, यह बताते हुए कि वे हैं पर लागू सिद्धांत द्वारा शासित होने का हकदार है नगरपालिका क्षेत्र/एमआईडीसी विकसित क्षेत्र। व्यक्तिगत तथ्य प्रत्येक अभ्यावेदन में उल्लेख किया जाएगा। वैसा ही होगा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया और ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया इस न्यायालय के निर्णयों को देखें, अधिमानतः अभ्यावेदन की प्राप्ति एसएलपी (सी) 19845/2017 की तारीख से चार सप्ताह के भीतर। कहने की जरूरत नहीं है, अभ्यावेदन का निर्णय कारण बताकर और निष्कर्ष दर्ज करके किया जाएगा। यदि याचिकाकर्ता व्यथित हैं, तो वे इस न्यायालय से संपर्क कर सकते हैं।

(15) **के.बालू** के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर विविध आवेदनों में, 2016 की सिविल अपील संख्या 12164-12166, 23.2.2018 को, यह दर्ज किया गया था कि राज्य सरकारों को यह निर्धारित करने से नहीं रोका जाएगा कि क्या दिनांक 11.7.2017 के आदेश में निर्धारित सिद्धांत स्थानीय स्वशासी निकायों और वैधानिक विकास प्राधिकरणों द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों पर भी लागू होंगे। राज्य सरकारों को स्थानीय स्वशासी निकायों और वैधानिक विकास प्राधिकरणों द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों के संबंध में अपना निर्णय लेने का अधिकार दिया गया क्योंकि यह एक प्रश्न है तथ्य यह है कि क्या स्थानीय स्वशासी निकाय द्वारा कवर किया गया क्षेत्र नगरपालिका समूह के नजदीक है या समान सिद्धांत के आवेदन की गारंटी देने के लिए पर्याप्त रूप से विकसित है। ऐसा करने में, राज्य सरकारों को क्षेत्र में विकास की प्रकृति और सीमा और राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर शराब की बिक्री पर रोक लगाने वाले निर्देश के अंतर्निहित उद्देश्य सहित सभी प्रासंगिक परिस्थितियों का सहारा लेने के लिए अधिकृत किया गया था। हालाँकि, व्यक्तिगत लाइसेंसधारियों को स्वतंत्रता दी गई थी वे अपना

अभ्यावेदन राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे जिन्हें उचित निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार पढ़ें:-

> "8. इन निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, हमारा मानना है कि राज्य सरकारों को निर्धारण से रोका नहीं जाएगा क्या इस न्यायालय द्वारा जो सिद्धांत निर्धारित किया गया है अराइव सेफ सोसाइटी (सुप्रा) में आदेश दिनांक 11 जुलाई 2017 स्थानीय स्वशासी निकायों द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों पर भी लागू होना चाहिए और वैधानिक विकास प्राधिकरण। हम अनुमति देने के इच्छुक हैं राज्य सरकारों को यह निर्धारण करना होगा क्योंकि यह तथ्य का प्रश्न है कि क्या कोई क्षेत्र स्थानीय स्व-शासन द्वारा कवर किया गया है। शासी निकाय नगरपालिका समूह के निकट है या है इसे लागू करने की गारंटी देने के लिए पर्याप्त रूप से विकसित किया गया है सिद्धांत. यह तय करने में कि क्या जो सिद्धांत रहा है 11 जुलाई 2017 के आदेश में निर्धारित को बढ़ाया जाना चाहिए स्थानीय स्वशासी निकाय (या वैधानिक विकास प्राधिकरण) राज्य सरकारें सभी प्रासंगिक उपायों का सहारा लेंगी विकास की प्रकृति और सीमा सहित परिस्थितियाँ दिशा को प्रतिबंधित करने वाला क्षेत्र और वस्तु अंतर्निहित है राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर शराब की बिक्री। का उपयोग 11 जुलाई 2017 के आदेश में अभिव्यक्ति 'नगरपालिका क्षेत्र' है राज्य सरकारों को यह निर्णय लेने और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के उद्देश्य के अनुरूप उचित निर्णय लेने से न रोकें। हम व्यक्तिगत लाइसेंसधारियों के लिए इसे खुला छोड़ते हैं कि वे राज्य सरकारों में सक्षम प्राधिकारियों को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं यदि उन्हें ऐसी सलाह दी जाती है जिस पर राज्य सरकारें उचित निर्णय ले सकती हैं। हमने उच्च न्यायालयों के समक्ष मुकदमेबाजी और इस न्यायालय में बार-बार आवेदन करने से बचने के लिए यह सामान्य निर्देश जारी किया है।

(16) उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अवलोकन उद्धृत किया गया है उपरोक्त से पता चलता है कि 15.12.2016 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी मूल निर्देशों में बाद में कुछ संशोधन किए गए थे। अंततः, दिनांक 23.2.2018 के अंतिम निर्देशों में, व्यक्तिगत लाइसेंसधारियों को नगरपालिका क्षेत्रों के निर्धारण के संबंध में किसी भी विवाद से संबंधित सक्षम प्राधिकारी को एक प्रतिनिधित्व

दाखिल करने की स्वतंत्रता दी गई है और सक्षम प्राधिकारी को रिकॉर्डिंग के बाद उन अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिए अधिकृत किया गया है। कानून के अनुसार कारण.

(17) हरियाणा की वर्ष 2018-19 की आबकारी नीति के खण्ड में 1.2.2, अनुसूचित सड़कों आदि पर स्थान का प्रतिबंध प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग से दिखाई देने वाली दुकान को शराब की बिक्री का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा; राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग से सीधे पहुंच योग्य और राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग के बाहरी किनारे या राजमार्ग के साथ सर्विस लेन के 500 मीटर की दूरी के भीतर स्थित है। प्रावधान में यह जोड़ा गया है कि उपरोक्त प्रतिबंध नगरपालिका क्षेत्रों की सीमा के भीतर स्थित शराब की दुकानों पर लागू नहीं होंगे। इसके अलावा, सभी खुदरा लाइसेंसधारियों के लिए बिक्री पर चालान जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है उल्लंघन पर संबंधित डीईटीसी द्वारा जांच के बाद लाइसेंसधारी पर प्रति घटना 500/- रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:-

"**1.2.2 अनुसूचित सड़कों आदि के स्थान का प्रतिबंध**।

ऐसी दुकान को शराब की बिक्री का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा:

(i) राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग से दृश्यमान;

(ii) राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग से सीधे पहुंच योग्य और

(iii) बाहरी किनारे से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग या साथ में सर्विस लेन का हाइवे। बशर्ते कि उपरोक्त प्रतिबंध शराब पर लागू नहीं होंगे नगरपालिका क्षेत्रों की सीमा के भीतर स्थित दुकानें। शराब की दुकानें जो राष्ट्रीय/राज्य पर स्थित नहीं हैं राजमार्ग या ऐसे राजमार्गों के साथ चलने वाली सर्विस लेन, पंजाब अनुसूचित सड़कों के प्रावधानों का अनुपालन करेगा और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास पर प्रतिबंध अधिनियम, 1963 (1963 का 41) या कोई अन्य लागू कानून। नोट: इसकी जिम्मेदारी डीईटीसी (आबकारी) की होगी संबंधित जिले उपरोक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें- निर्धारित प्रतिबंध।"

(18) इसी प्रकार, पंजाब राज्य ने भी उत्पाद शुल्क नीति बनाई है वर्ष 2018-19 के लिए जिसमें 'वेंड्स के स्थान' से संबंधित निम्नलिखित खंड शामिल किया गया है: -

"**2.12 दुकानों का स्थान:** वर्ष 2017-18 के दौरान, शहरी क्षेत्र में जिन क्षेत्रों में कोई जोन नहीं बनाया गया था, वहां लाइसेंसधारी के पास शहर में किसी भी स्थान पर दुकान खोलने का विकल्प था। जहां

जोन बनाए गए हैं दुकानों की संख्या तय की गई। के जरिए ही जोन आवंटित किए गए लॉटरी. जोन की आवंटित दुकानें किसी भी स्थान पर खोली जा सकेंगी ज़ोन में। इसी तरह, गांवों में ग्रामीण दुकानें हो सकती हैं गांवों की राजस्व सीमा में खोला गया। ग्रामीण विक्रेताओं के लिए, आवेदन एक विशिष्ट क्षेत्र के लिए थे। कोई अनधिकृत शाखा नहीं या राज्य में कोई भी अनाधिकृत शराब की दुकान खोली जा सकती है. अगर कोई भी लाइसेंसधारी अनाधिकृत दुकान खोलता है तो ऐसा प्रावधान है विभाग सख्त कार्रवाई कर लाइसेंस बंद कर सकता है न्यूनतम एक माह की अवधि के लिए लाइसेंसधारी का विक्रय। संबंधित क्षेत्र का आबकारी निरीक्षक पूर्ण रूप से जिम्मेदार होता है इस प्रावधान को लागू करना. में शराब की दुकान खोलने हेतु शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से दूरी पर दुकान होनी चाहिए निर्धारित धार्मिक या मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान नियमों के तहत. इसी तरह, दुकान भी नहीं खोली जा सकती जिस स्थान के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा पाबंद किया गया है कोई अन्य कारण. यह दूरी मुख्य द्वार से लेनी होगी धार्मिक स्थान या मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान का. यदि कोई मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान या धार्मिक संस्थान है वर्ष की मुद्रा के दौरान खोले जाने पर प्रावधान अगले वित्तीय वर्ष से लागू होगा। इस प्रावधान को 2018-19 के दौरान जारी रखने का प्रस्ताव है।

वर्ष 2017-18 के दौरान यदि शराब की दुकान खोली गई वह स्थान जहां पिछले वर्ष विक्रेता चल रहा था इसके लिए अनुमति देने से इनकार नहीं किया गया। एक नया खोलने के लिए विक्रेता को विभाग की मंजूरी लेनी होगी लाइसेंसधारी. लाइसेंसिंग इकाई के एल-2 और एल-14ए वेंड को एक ही छत के नीचे खोला जाना आवश्यक है। यह प्रावधान प्रस्तावित है 2018-19 के दौरान जारी रखा जाएगा। यह भी बताना सार्थक है यहां बताया गया है कि लाइसेंसधारी आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2014 के CWP No.4681 में पारित किया जाए - मार्केट वेलफेयर सोसायटी, मोहाली बनाम पंजाब राज्य। के अलावा इससे लाइसेंसधारी पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1914 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

उपरोक्त खंड के अवलोकन से पता चलता है कि राज्य में कोई भी अनधिकृत शराब की दुकान नहीं खोली जा सकती है। संबंधित प्रावधान में निहित प्रतिबंधों को लागू करने के लिए संबंधित क्षेत्र का आबकारी निरीक्षक पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। इसी प्रकार, ऐसे स्थान पर भी दुकान नहीं खोली जा सकती, जिसे किसी अन्य कारण से सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिबंधित किया गया हो।

(19) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि हरियाणा राज्य में वर्ष 2018-19 के लिए उत्पाद शुल्क नीति के खंड 1.2.2 में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों का पालन किया गया है जैसा कि उक्त उत्पाद शुल्क नीति तैयार करने में ऊपर देखा गया है। हालाँकि, पंजाब राज्य ने वर्ष 2018-19 के लिए उत्पाद शुल्क नीति के खंड 2.12 में शराब की दुकानों के स्थान से निपटा है, लेकिन उक्त खंड विशेष रूप से राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के साथ शराब की दुकानों से संबंधित नहीं है। तदनुसार, यह निर्देशित किया जाता है कि पंजाब राज्य में सक्षम प्राधिकारी शराब की बिक्री के लिए लाइसेंस देते समय यह सुनिश्चित करें कि शराब की दुकानें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुरूप ही स्थित हों।

(20) दूसरे मुद्दे को उठाते हुए, यह देखा जा सकता है कि संसद ने राष्ट्रीय राजमार्गों के भीतर भूमि के नियंत्रण, रास्ते के अधिकार प्रदान करने के लिए 2002 अधिनियम अर्थात् "राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002" अधिनियमित किया। और राष्ट्रीय राजमार्गों पर चल रहे यातायात और उन पर अनधिकृत कब्जे को हटाने के लिए भी। 2002 अधिनियम में निहित वर्तमान विवाद के निर्णय के लिए प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान इस प्रकार हैं:

"24. **राजमार्ग भूमि पर कब्जे की रोकथाम.**—(1) नहीं व्यक्ति किसी राजमार्ग भूमि पर कब्ज़ा करेगा या कोई सामग्री छोड़ेगा पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना ऐसी भूमि पर नाली बनाना, लिखित रूप में ऐसे प्रयोजन के लिए, राजमार्ग प्रशासन या की इस संबंध में ऐसे प्रशासन द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी

(2) राजमार्ग प्रशासन या उसके अधीन प्राधिकृत अधिकारी इसमें किसी व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर उपधारा (1) लागू हो सकती है यातायात की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए, ऐसे व्यक्ति को अनुमति दें-

(i) सामने राजमार्ग पर एक चल संरचना रखना उसके स्वामित्व वाली कोई इमारत या चल संरचना बनाना ऐसी इमारत के समर्थन पर और राजमार्ग पर, या

(ii) एक अस्थायी लॉन या तम्बू या अन्य समान लगाना निर्माण या अस्थायी स्टॉल या मचान राजमार्ग, या

(iii) निर्माण सामग्री, सामान, बिक्री के लिए या अन्य वस्तुओं को किसी राजमार्ग पर जमा करना या जमा करवाना, या

(iv) किसी कार्य को करने के लिए अस्थायी खुदाई करना आस-पास की इमारतों की मरम्मत या सुधार, और ऐसी अनुमति शर्तों के अधीन और निर्धारित प्रपत्र में परमिट जारी करके किराया और अन्य शुल्कों के भुगतान पर दी जाएगी:

बशर्ते कि ऐसी कोई भी अनुमति एक अवधि से अधिक वैध नहीं होगी जिस तारीख को अनुमति दी गई है, उस तारीख से एक समय में एक महीना, जब तक कि इसे राजमार्ग प्रशासन या ऐसे अधिकारी द्वारा अनुमति के नवीनीकरण के लिए ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर नवीनीकृत नहीं किया जाता है।

(3) उप-धारा (2) के तहत दी गई अनुमति में निर्दिष्ट किया जाएगा-

(i) वह समय जब तक अनुमति दी जाती है;

(ii) ऐसी अनुमति का उद्देश्य;

(iii) राजमार्ग का वह भाग जिसके संबंध में अनुमति दे दी गई है, और इसके साथ संलग्न किया जाएगा राजमार्ग के ऐसे हिस्से की योजना या रेखाचित्र।

(4) वह व्यक्ति, जिसे उप-धारा (2) के तहत परमिट जारी किया गया है, जब भी राजमार्ग प्रशासन के किसी भी अधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाएगा तो निरीक्षण के लिए परमिट प्रस्तुत करेगा और दी गई अनुमति की समाप्ति पर ऐसे परमिट के तहत, परमिट में निर्दिष्ट राजमार्ग के हिस्से को ऐसी स्थिति में बहाल करें जैसे वह इस तरह के परमिट जारी करने से ठीक पहले था और ऐसे हिस्से का कब्जा राजमार्ग प्रशासन को सौंप देगा।

(5) राजमार्ग प्रशासन या उप-धारा (2) के तहत परमिट जारी करने वाला अधिकारी जारी किए गए ऐसे सभी परमिटों का पूरा रिकॉर्ड रखेगा, और प्रत्येक मामले में उस अवधि की समाप्ति पर भी सुनिश्चित करेगा जिसके तहत अनुमति दी गई है। परमिट उस उप-धारा के तहत दिया जाता है कि राजमार्ग के उस हिस्से का कब्ज़ा जिसके संबंध में ऐसी अनुमति दी गई थी, राजमार्ग प्रशासन को सौंप दिया गया है।

25. **अस्थायी उपयोग के लिए राजमार्ग भूमि का पट्टा या लाइसेंस प्रदान करना।**– राजमार्ग प्रशासन या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन इस ओर ध्यान दे सकता है यातायात की सुविधा और ऐसी शर्तों के अधीन जो हो सकती हैं निर्धारित और निर्धारित किराया या अन्य शुल्क के भुगतान पर, किसी व्यक्ति को अस्थायी उपयोग के लिए राजमार्ग भूमि का पट्टा या लाइसेंस प्रदान करें: बशर्ते कि ऐसा कोई भी पट्टा उस तारीख से एक समय में पांच साल से अधिक के लिए वैध नहीं होगा जिस दिन ऐसा पट्टा

दिया गया है जब तक राजमार्ग प्रशासन या ऐसे अधिकारी द्वारा नवीनीकृत नहीं किया जाता तब तक प्रदान किया जाता है।

25. **अनाधिकृत कब्ज़ा हटाना.**—(1) जहां राजमार्ग प्रशासन या इस संबंध में ऐसे प्रशासन द्वारा अधिकृत अधिकारी की राय है कि यातायात सुरक्षा या सुविधा के हित में धारा 24 की उपधारा (2) के तहत जारी किसी भी परमिट को रद्द करना आवश्यक है, वह कारण दर्ज करने के बाद ऐसा करने के लिए लिखित रूप में, ऐसे परमिट को रद्द करें और, उसके बाद, जिस व्यक्ति को अनुमति दी गई थी, वह राजमार्ग प्रशासन या ऐसे अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर परमिट में निर्दिष्ट राजमार्ग के हिस्से को बहाल करेगा। ऐसी शर्त जो इस तरह के परमिट जारी करने से ठीक पहले थी और ऐसे हिस्से का कब्ज़ा राजमार्ग प्रशासन को सौंप दे और यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी अवधि के भीतर ऐसा कब्ज़ा देने में विफल रहता है, तो उसे राजमार्ग की भूमि पर अनधिकृत कब्ज़ा करने वाला माना जाएगा। इस धारा और धारा 27 के उद्देश्य

(2) जब, राजमार्ग भूमि के आवधिक निरीक्षण के परिणामस्वरूप या अन्यथा, राजमार्ग प्रशासन या द्वारा अधिकृत अधिकारी इस संबंध में ऐसा प्रशासन संतुष्ट है कि कोई भी अनधिकृत राजमार्ग की भूमि पर कब्ज़ा हो गया है, राजमार्ग प्रशासन या इस प्रकार अधिकृत अधिकारी एक नोटिस देगा ऐसा करने वाले या इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर निर्धारित प्रपत्र अनधिकृत कब्जे के लिए उसे ऐसे अनधिकृत कब्जे को हटाने और नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसी राजमार्ग भूमि को अनधिकृत कब्जे से पहले की मूल स्थिति में बहाल करने की आवश्यकता होती है। (3) उप-धारा (2) के तहत नोटिस में उस राजमार्ग भूमि को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसके संबंध में ऐसा नोटिस जारी किया गया है, वह अवधि जिसके भीतर ऐसी भूमि पर अनधिकृत कब्जे को हटाना आवश्यक है, सुनवाई का स्थान और समय प्रतिनिधित्व, यदि कोई हो, जो व्यक्ति जिसे नोटिस संबोधित किया गया है, वह नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर नोटिस दे सकता है और ऐसे नोटिस का अनुपालन करने में विफलता पर नोटिस में निर्दिष्ट व्यक्ति दंड के लिए उत्तरदायी होगा, और उस राजमार्ग भूमि से संक्षिप्त निष्कासन होगा जिसके संबंध में ऐसा नोटिस जारी किया गया है। ,उपधारा (6) के अंतर्गत

(4) उपधारा (2) के अंतर्गत नोटिस की तामील की जायेगी उसकी एक प्रति उस व्यक्ति को देना, जिसे ऐसा नोटिस है या उसके एजेंट या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को संबोधित या पंजीकृत डाक द्वारा उस व्यक्ति को संबोधित किया जाता है जिसे ऐसा नोटिस संबोधित किया जाता है और एक पावती जो उस व्यक्ति या उसके एजेंट या उसकी ओर से अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होने का तात्पर्य है या एक डाक द्वारा समर्थन कर्मचारी ने कहा कि ऐसे व्यक्ति या उसके

एजेंट या उसकी ओर से ऐसे अन्य व्यक्ति ने डिलीवरी लेने से इनकार कर दिया है तो इसे प्रथम दृष्टया सेवा का प्रमाण माना जा सकता है।

(5) जहां नोटिस की सेवा उप-धारा (4) के तहत प्रदान किए गए तरीके से नहीं की जाती है, नोटिस की सामग्री को उस व्यक्ति की जानकारी के लिए स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापित किया जाएगा जिसे नोटिस संबोधित किया गया है और ऐसे विज्ञापन को ऐसे व्यक्ति पर ऐसे नोटिस की तामील माना जाएगा।

(6) जहां उपधारा (2) के तहत नोटिस की सेवा उपधारा (4) या उपधारा (5) के तहत की गई है और अनधिकृत राजमार्ग की भूमि पर कब्ज़ा जिसके संबंध में ऐसा नोटिस है इस उद्देश्य के लिए नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर सेवा को हटाया नहीं गया है और राजमार्ग प्रशासन या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कोई उचित कारण नहीं दिखाया गया है। प्रशासन इस ओर से अनाधिकृत लोगों को न हटाने के लिए जिम्मेदार है कब्जा, राजमार्ग प्रशासन या ऐसा अधिकारी, जैसा भी मामला हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के खर्च पर ऐसे अनधिकृत कब्जे को हटवाएगा, और उस व्यक्ति पर जुर्माना लगाएगा जिसे नोटिस दिया गया है। संबोधित किया गया है जो अनाधिकृत रूप से कब्जा की गई भूमि के प्रति वर्ग मीटर पांच सौ रुपये होगा और जहां लगाया गया जुर्माना ऐसी भूमि की लागत से कम है, जुर्माना ऐसी लागत के बराबर बढ़ाया जा सकता है।

(7) इस खंड में किसी बात के होते हुए भी, राजमार्ग प्रशासन या इस संबंध में ऐसे प्रशासन द्वारा अधिकृत अधिकारी को राजमार्ग भूमि पर अनधिकृत कब्जे को हटाने के लिए इस धारा के तहत कोई नोटिस जारी किए बिना शक्ति होगी, यदि ऐसा अनधिकृत कब्जा प्रकृति का है-

(ए) किसी भी सामान या वस्तु को उजागर करना-

(i) खुली हवा में; या

(ii) अस्थायी स्टॉल, कियोस्क, बूथ या अस्थायी प्रकृति की किसी अन्य दुकान के माध्यम से,

(बी) निर्माण या निर्माण, चाहे अस्थायी या स्थायी, या

(सी) अतिचार या अन्य अनधिकृत कब्जा जो हो सकता है किसी मशीन या अन्य उपकरण के उपयोग के बिना आसानी से हटाया जा सकता है, और ऐसे कब्जे को हटाने में राजमार्ग प्रशासन या यदि आवश्यक हो तो ऐसा अधिकारी पुलिस की सहायता ले सकता है आवश्यक उचित बल का प्रयोग करके ऐसे कब्जे को हटाएँ ऐसे हटाने के लिए

(8) इस धारा में निहित किसी भी बात के बावजूद, यदि राजमार्ग प्रशासन या इस संबंध में ऐसे प्रशासन द्वारा अधिकृत अधिकारी की राय है कि राजमार्ग भूमि पर कोई भी अनधिकृत कब्जा ऐसी प्रकृति का है जिसे तत्काल हटाना आवश्यक है का हित-

(ए) राजमार्ग पर यातायात की सुरक्षा; या

(बी) राजमार्ग का हिस्सा बनने वाली किसी भी संरचना की सुरक्षा, और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति को कोई नोटिस नहीं दिया जा सकता है इस धारा के तहत अनधिकृत कब्ज़ा, उसकी अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अनुचित देरी के बिना, राजमार्ग प्रशासन या ऐसे प्रशासन द्वारा अधिकृत अधिकारी किसी भी निर्माण में बदलाव सहित ऐसा निर्माण कर सकता है जो संदर्भित सुरक्षा के लिए आवश्यक निर्धारित लागत पर संभव हो सकता है। खंड (ए) या खंड (बी) में या इस तरह के अनधिकृत कब्जे को हटा दिया जाएगा उपधारा (7) में निर्दिष्ट.

(9) राजमार्ग प्रशासन या उसके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी इस संबंध में प्रशासन को, इस धारा या धारा 27 के प्रयोजनों के लिए, वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो किसी मुकदमे की सुनवाई करते समय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के तहत एक सिविल कोर्ट में निहित होती हैं। निम्नलिखित मामले, अर्थात्:-

(ए) किसी भी व्यक्ति को बुलाना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना शपथ पर उसकी जाँच करना;

(बी) दस्तावेजों की खोज और उत्पादन की आवश्यकता;

(सी) गवाहों की जांच के लिए कमीशन जारी करना; और

(डी) कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जा सकता है, और ऐसे प्रशासन या अधिकारी के समक्ष कोई भी कार्यवाही होगी धारा 193 और 228 के अर्थ में और भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 196 के प्रयोजन के लिए एक न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी और प्रशासन या अधिकारी को इस प्रयोजन के लिए एक सिविल न्यायालय माना जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय XXVI।"

(21) उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि अन्य बातों के साथ-साथ अधिनियम की धारा 24 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति राजमार्ग प्रशासन या इस संबंध में ऐसे प्रशासन द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी से लिखित रूप में इस उद्देश्य के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना किसी राजमार्ग भूमि पर कब्जा नहीं करेगा या ऐसी

भूमि पर नाली के माध्यम से कोई सामग्री नहीं बहाएगा। धारा 25(1) में प्रावधान है कि राजमार्ग प्रशासन या ऐसे प्रशासन द्वारा अधिकृत अधिकारी, यातायात की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए और ऐसी शर्तों के अधीन, जो निर्धारित की जा सकती हैं और निर्धारित किराए या अन्य शुल्क के भुगतान पर, पट्टा प्रदान कर सकते हैं या किसी व्यक्ति को अस्थायी उपयोग के लिए राजमार्ग भूमि का लाइसेंस दे सकते हैं अधिनियम की धारा 26 के अनुसार, राजमार्ग प्रशासन को ऐसा करने के लिए लिखित कारण दर्ज करने के बाद अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (2) के तहत जारी किसी भी परमिट को रद्द करने का अधिकार है। उपरोक्त प्रावधानों का संचयी प्रभाव यह होगा कि राजमार्ग पर पड़ने वाली किसी भी भूमि के उपयोग की अनुमति राजमार्ग से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रशासन। दूसरे शब्दों में, यह आवश्यक होगा कि कस्बों, शहरों और गांवों की नगरपालिका सीमा के बाहर और राजमार्ग पर पड़ने वाली भूमि पर कब्जे के लिए राजमार्ग प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के महाप्रबंधक (तकनीकी) द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्यों के विभिन्न उपायुक्तों को जारी दिनांक 4.8.2012 के पत्र से पता चलता है कि राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों पर शराब की दुकानों को हटाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए थे। राजमार्ग प्रशासन की पूर्व अनुमति के बिना संचालित हो रहे थे। याचिकाकर्ता ने राजमार्ग प्रशासन से प्रवेश की अनुमति के बिना राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रही शराब की दुकानों के विवरण के बारे में भी आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी थी। याचिकाकर्ता को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पीआईयू, चंडीगढ़ के परियोजना निदेशक द्वारा आवश्यक विवरण देते हुए पत्र दिनांक 10.1.2018 भेजा गया था।

(22) भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि यह है अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 47 इस प्रकार है:- "47. पोषण के स्तर को ऊपर उठाना राज्य का कर्तव्य है जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य पोषण के स्तर और मानक को बढ़ाने पर विचार करें इसके लोगों का जीवन और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार अपने प्राथमिक कर्तव्यों में और, विशेष रूप से, राज्य करेगा को छोड़कर उपभोग पर रोक लगाने का प्रयास करें नशीले पेय और दवाओं के औषधीय प्रयोजनों के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं।"

(23) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 की सरल भाषा से पता चलता है राज्य को नशीले पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के औषधीय प्रयोजनों को

छोड़कर उपभोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करना होगा। शराब का सेवन निश्चित रूप से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसने कई परिवारों को तबाह कर दिया है.

(24) अनुच्छेद 47 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक है देश के शासन में मौलिक है और राज्य के पास पेय के रूप में शराब के निर्माण, बिक्री, कब्जे, वितरण और खपत को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की शक्ति है क्योंकि यह मानव स्वास्थ्य के लिए स्वाभाविक रूप से खतरनाक है। नतीजतन, यह राज्य का विशेषाधिकार है और यह राज्य को तय करना है कि क्या उसे उस विशेषाधिकार से अलग होना चाहिए, जो राज्य की शराब नीति पर निर्भर करता है। इसलिए, पोर्टेबल शराब के संबंध में राज्य के पास विशेष अधिकार या विशेषाधिकार है। निषेधाज्ञा लागू करना अनुच्छेद 47 में उल्लिखित निदेशक सिद्धांत को प्राप्त करना है।

(25) इसलिए, किसी नागरिक को व्यापार या व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है शराब को एक पेय पदार्थ के रूप में और ऐसी गतिविधियाँ, जो अतिरिक्त वाणिज्यिक हैं, किसी भी नागरिक द्वारा नहीं की जा सकतीं। राज्य पोर्टेबल शराब के व्यापार या कारोबार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा सकता है और ऐसी शराब के व्यापार या व्यवसाय के लिए अपने आप में एक एकाधिकार भी बना सकता है। यह कानूनी स्थिति अच्छी तरह से स्थापित है। राज्य पेय पदार्थ के रूप में शराब के व्यापार या व्यवसाय पर प्रतिबंध और सीमाएं भी लगा सकता है, जो प्रतिबंध प्रकृति में लगाए गए प्रतिबंधों से भिन्न होते हैं। वैध गतिविधियों और वस्तुओं और वस्तुओं में व्यापार या व्यवसाय जो वाणिज्यिक हैं। **विट्ठल दत्तात्रय कुलकर्णी और अन्य बनाम शामराव तुकाराम पावर एसएमटी और अन्य, पी.एन. कौशल और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, कृष्ण कुमार नरूला** आदि के निर्णयों का संदर्भ लिया जा सकता है। **जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य, नशीरवार और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य बनाम मैकडॉवेल एंड कंपनी और अन्य और खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य**। विधायिका ने, अपने विवेक से, निर्णय निर्माताओं, आयुक्त और राज्य सरकार को काफी हद तक स्वतंत्रता दी है क्योंकि उन्हें एक ऐसे लेख से निपटने की शक्ति प्रदान की गई है जो स्वाभाविक रूप से मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

(26) **कूवरजी बी.भरूचा बनाम आबकारी आयुक्त, अजमेर,** एआईआर में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह देखा गया कि राज्य की विधायिका नशीली शराब बेचने के व्यवसाय को विनियमित करने, इसकी बुराइयों को कम करने या इसे पूरी तरह से दबाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। किसी नागरिक को नशीली शराब फुटकर बेचने का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं है। यह किसी नागरिक का विशेषाधिकार नहीं है. चूंकि यह

एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें समुदाय के लिए खतरा है, इसलिए इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा सकता है या ऐसी शर्तों के तहत अनुमति दी जा सकती है जो इसकी बुराइयों को खत्म करने में सीमित होंगी।

(27) **खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य में और अन्य, सुप्रीम कोर्ट** द्वारा यह देखा गया कि पेय के रूप में पीने योग्य शराब एक नशीला और अवसादकारी पेय है जो खतरनाक और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इसलिए, यह एक ऐसी वस्तु है जो स्वाभाविक रूप से हानिकारक है। इसलिए, किसी नागरिक को शराब का व्यापार या व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। इसलिए शराब का व्यापार या कारोबार पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा सकता है. संविधान का अनुच्छेद 47 नशीले पेय और नशीली दवाओं को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानता है और लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने में बाधा डालता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार. इसलिए, यह राज्य को औषधीय उद्देश्यों को छोड़कर नशीले पेय पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश देता है, जिसमें स्पष्ट रूप से शराब भी शामिल है। अनुच्छेद 47 निर्देशक सिद्धांतों में से एक है जो देश के शासन में मौलिक है। इसलिए, राज्य के पास पेय के रूप में पीने योग्य शराब के निर्माण, बिक्री, कब्जे, वितरण और खपत को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की शक्ति है, क्योंकि यह स्वाभाविक है। उपभोग की एक खतरनाक वस्तु और अनुच्छेद 47 में निहित निदेशक सिद्धांत के कारण भी, सिवाय इसके कि जब इसका उपयोग और उपभोग औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

(28) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह उचित होगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 और जनता की सुरक्षा के लिए, कस्बों, शहरों और गांवों की सीमा के बाहर लेकिन राजमार्गों पर नगरपालिका क्षेत्रों में आने वाली किसी भी शराब की दुकान को 2002 के प्रावधानों के अनुपालन के बिना संचालित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कार्यवाही करना। तदनुसार आदेश दिया गया। यह राजमार्ग प्रशासन का काम होगा कि वह व्यक्तिगत मामलों की जांच करे और कस्बों, शहरों तथा शराब की दुकानों के स्थान की निकटता का निर्धारण करे। 2002 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यातायात की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए नगरपालिका क्षेत्रों के भीतर राजमार्गों पर गाँव। हालाँकि, याचिकाकर्ता के लिए यह खुला होगा कि वह राजमार्गों पर शराब की दुकानों के स्थान के मानदंडों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तिगत मामले को कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए सक्षम

प्राधिकारी के ध्यान में लाए। रिट याचिका का निपटारा यहां ऊपर बताए गए तरीके से किया जाता है।

अस्विकरण- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी वयावहारिक और अधिकारिक उदेश्यके लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रारंभिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुकत रहेगा।

सचिन गर्ग ट्रांस्लेटर